राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 19/2020 आनि

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।	बनाम	श्री नन्दा पिता गोकल ओड निवासी बाघपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

आदेश

दिनांक : 13.06.2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर से रिमाण्ड होकर दिनांक 27.01.2020 को मा0 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्राप्त हुआ। मा0 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा में प्रकरण दिनांक 03.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को नोटिस सम्मन जारी किये गये। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 400 दिनांक 19.04.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया गया कि ग्राम बाघपुरा प0ह0 ढोसर के आराजी संख्या 29 रकबा 0.43 है0 किस्म बीड भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में पड़त पड़ी होकर किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि के उत्तरी मेड के आंशिक भू–भाग पर पड़ौसी औद्योगिक ईकाई मैसर्स चौधरी मिनरल्स द्वारा पत्थर डाल रखे है व शेष भूमि खुली पड़ी हुई है। उक्त आराजी संख्या 29 रकबा 0.43 है0 भूमि पर नन्दा पिता गोकल ओड निवासी बाघपुरा का कब्जा नहीं है तथा न ही इसके व अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। संवत् 2075 से 2078 तक की खसरा गिरदावरी अनुसार उक्त भूमि पर काश्त नहीं होने से रिपोर्ट में पड़त है। उक्त भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं तथा कोई थोहर बाड़ भी नहीं है। भूमि खुली पड़ी हुई है।

जिला कलक्टर

राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी ने कभी काश्त नहीं की है एवं आवंटन निरस्त करने का जब उसे नोटिस दिया गया तब उस नोटिस को असफल करने के लिए फसल काश्त की है, जबकि इससे पूर्व कभी उसके द्वारा फसल काश्त नहीं की गई, जबकि भू–आवंटन नियम 14(3) के अंतर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर निरंतर काश्त करना अनिवार्य है और इस मामले में विपक्षी को दिनांक 31.01.1983 को जब भूमि आवंटन की तब से लगभग 18 वर्षों तक उसके द्वारा आवंटित भूमि को पड़त ही रखा जा रहा है। इस प्रकार विपक्षी/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से पूर्व में इस न्यायालय द्वारा विपक्षी/आवंटी का जो आवंटन दिनांक 24.12.2002 को निरस्त किया गया था वह विधिसम्मत ही है, जिसे मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा रिमाण्ड कर पुनः सक्षम अधिकारी, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निर्णय करने के निर्देश दिये गये है। तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 में भी मौके पर वादग्रस्त भूमि पड़त पड़ी होकर किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं होना एवं उक्त भूमि पर नन्दा पिता गोकल ओड निवासी बाघपुरा का कब्जा नहीं होना अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बाघपुरा प0ह0 ढोसर के गत आराजी नंबर 7/11 रकबा 2 बीघा जिसके हाल आराजी संख्या 29 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि है, का दिनांक 31.01.1983 को विपक्षी/आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें।

मैने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण किया। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेशानुसार सक्षम अधिकारी, तहसीलदार सहाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि ग्राम बाघपुरा प0ह0 ढोसर के आराजी नंबर 29 रकबा 0.43 है0 किस्म बीड भूमि मौके पर पड़त पड़ी होकर किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं है। साथ ही यह भी अंकन किया गया है कि उक्त आराजियात पर नन्दा पिता गोकल ओड नि0 बाघपुरा (विपक्षी) का कब्जा नहीं है तथा न ही इसके व अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजियात पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है, जबकि कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि पर कृषि कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और अप्रार्थी/आवंटी द्वारा कब्जा, काश्त एवं कृषि कार्य नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की उल्लंघना की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पत्रावली में उपलब्ध ग्राम बाघपुरा, प0ह0 ढोसर स्थित आराजी संख्या 29 रकबा 0.43 है0 भूमि की संवत् 2073–78 तक की खसरा गिरदावरी में भी उक्त भूमि पर फसल काश्त किये जाने की कहीं कोई प्रविष्टि/इन्द्राज नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा मौका पर्चा से यह पाया जाता है कि प्रार्थी/आवंटी ने मौके पर आज तक काश्त नहीं किया है। तहसीलदार, सहाड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त कराने की अभिशंषा की गयी थी।

भू–आवंटन नियम 14(3) के अंतर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर निरंतर काश्त करना अनिवार्य है, किन्तु इस मामले में प्रार्थी/आवंटी द्वारा दिनांक 31.01.1983 को कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि पर आवंटन नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर एवं अगले वर्ष में पूरी भूमि पर एवं उसके बाद भी लगभग 18 वर्षों तक भी काश्त न करना पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा जिस पर मौतबिरान के भी हस्ताक्षर है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2051–54, 2057–60 इत्यादि से प्रमाणित होता है एवं तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट से उसका उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होना भी सिद्ध होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा नियम 14(3) की स्पष्ट तौर पर उल्लंघना की गई है, अतः नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा प्र0सं0 192/2002 निर्णय दिनांकित 24.12.2002 से प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित था। अतएव–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी/आवंटी श्री नंदा पिता गोकल ओड निवासी बाघापुरा के पक्ष में ग्राम बाघपुरा की गत आराजी नंबर 7/11 रकबा 2 बीघा जिसके हाल आराजी संख्या 29 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि है, का दिनांक 31.01.1983 को किया गया आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को पालनार्थ भेज कर आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकॉर्ड पर समुचित पालना कराई जाकर तहसीलदार, सहाड़ा मु. गंगापुर को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पाबन्द कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करावें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/23

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा